न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी कमला अलारिया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 38/2014 दायरा दिनाक 25.03.2014

1. नन्दलाल पुत्र सरदाराराम
2. केसर देवी बेवा सरदाराराम

अकवाम मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर। –प्रार्थी

बनाम

1 चम्पालाल पुत्र श्री हरचन्द जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवानी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगांनगर।

2 तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ। – अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::– दिनांकः 23.02.2022

शिकायत अर्न्तगत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :–1. श्री कमलदत्त शर्मा व रामस्वरूप तावणीया :–अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :–अप्रार्थी न. 1 की और से
3.पैरोकार राजतहसीलदार सूरतगढ :–अप्रार्थी न. 2 की और से

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने यह शिकायत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया, कि अप्रार्थी न. 1 के पिता हरचन्द पुत्र आशाराम जाति मेघवाल साकिन भैरूपुरा के नाम से रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 288 में 17.00 बीघा व खसरा न. 176 में 23.15 बीघा इस प्रकार कुल 40.15 बीघा रकबा अस्थाई आवंटन था। जो सवतं 2043 तक नवीनीकरणशुदा है। उसके बाद अप्रार्थी के पिता को 34.00 बीघा रकबा ही अस्थाई आवंटन नवीनकरण होता आ रहा है। 6.15 बीघा रकबा काट दिया था तथा अप्रार्थी के पिता के पुख्ता आवंटन के समय 34.00 बीघा रकबा ही स्थाई आवंटन हुआ था। 6.15 बीघा रकबा का सरप्लस का कोई साक्ष्य नही है। अप्रार्थी न. 1 ने अपने पिता को शेष रकबा ना होते हुए भी तथा कब्जा काश्त न होते हुए भी बालिग पुत्र मे यह रकबा आवंटन करवा लिया है। जब रकबा राज ही नही था व बालिगपुत्र मे भी नही था व कब्जा काश्त में नही था तो आवटन नही हो सकता है। यह रकबा पचांयत समिति सूरतगढ के नाम दर्ज है। तथा अप्रार्थी ने रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 से पैमुद चक 16 एस एल डी के पत्थर न. 83/383 के किला न. 14 ता 19, 25 का 1.682 हैक रकबा अपने पिता का अधिशेष बताकर श्रीमान आवंटन अधिकारी सूरतगढ से मिसल न. 2345/2007 बअनवान चम्पालाल बनाम सरकार से जो 1.682 हैक रकबा दिनांक 15.07.2007 को आवंटन करवाया है, यह आवटन खारिज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को इन्कार करते हुए जबाब पेश किया कि अप्रार्थी के पिता के नाम से रेाही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 176 में कोई रकबा नही है। सही तथ्य यह है कि अप्रार्थी के पिता हरचन्द पुत्र आशाराम जाति मेघवाल के नाम से रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 में 23.13 बीघा व खसरा न. 288 में 17.00 बीघा कुल 40.13 बीघा रकबा टी सी आवंटन था। पुख्ता आंवटन के समय श्रीमान आंवटन अधिकारी सूरतगढ ने दिनांक 08.01.1990 को खसरा न. 288 का तमाम 17.00 बीघा व खसरा न. 167 का 23.13 बीघा रकबा मे से 17.00 बीघा इस प्रकार कुल 34.00 बीघा बारानी भुमि अप्रार्थी के पिता को पुख्ता आवंटन कर दी। परन्तु 6.13 बीघा रकबा के लिए कोई आदेश जारी नही किये। इस पर अप्रार्थी

त जिला कलक्टर
गढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

के पिता ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील न. 170/92 पेश की जो दिनांक 20.01.1993 को स्वीकार हो गई व अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी के पिता के नाम से रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 का 6.13 बीघा रकबा अविशेष घोषित कर दिया। इस रकबा पर अप्रार्थी का लगातार कब्जा चलता रहा व श्रीमान तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी के विरूध नाजायज काश्त की कार्यवाही भी करते रहे। नाजायज काश्त की पत्रावलीयों की फोटो प्रतियां सलग्न जवाब पेश की। वरवक्त पुख्ता ऑवटन श्रीमान आवटन अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी को रकबा के लिए दिनांक 03.09.2007 को सक्षम घोषित कर यह रकबा सलाहाकार समिति के समक्ष आवंटन हेतू रखे जाने का आदेश दिया व दिनांक 15.09.2007 को पत्रावली न. 2349/2007 में उक्त रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 में 6.13 बीघा रकबा पुर्णतया विधी सम्मत तरीके से अप्रार्थी की पात्रता की पुरी जॉच कर अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन कर दिया । इस निर्णय के विरूद्व उक्त दोनो शिकायत कर्ता ने श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगगांनगर के समक्ष अपील न. 79/2012 बअनवान केसरदेवी आदि बनाम चम्पालाल प्रस्तुत की जो दोनो पक्षो को व सरकार को सुनकर मुझ अप्रार्थी का आवंटन विधी सम्मत पाये जाने पर प्रार्थीगण की यह अपील दिनांक 15.01.2014 को खारिज कर दी। तथा इस निर्णय के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भी निगरानी पेश कर रखी व मुझ अनूसूचित जाति के गरीब काश्तकार को परेशान करने के लिये प्रार्थीगण ने श्रीमान न्यायालय ने यह शिकायत पेश कर दी है । रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 में कुल 101.13 बीघा रकबा था इसमें से 23.13 बीघा रकबा मेरे पिता हरचन्द का टी सी आवटित रकबा था तथा 15.00 बीघा रकबा प्रार्थीगण के पति/पिता सरदारा का था। शेष रकबा अन्य काश्तकारो व पचांयत समिति का था। चक बन्दी के दौरान इस खसरा के काश्तकारो का अलग रकबा पैमुद हुआ है चकबन्दी का कोई विवाद नही है । अप्रार्थी के रकबा से चक बन्दी के दौरान चक 16 एस एल डी के पत्थर न. 83/383 के किला न. 14 ता 19, 25 का 1.683 हैक रकबा पैमुद हुआ है। अप्रार्थी ने पुख्ता आवंटन के पश्चात इस रकबा की तमाम किश्ते जमा करवा दी है। तथा आवटन की तमाम शर्ता की पालना करने पर अप्रार्थी के नाम से श्रीमान आवटन अधिकारी एवंम उपखण्ड अधिकरी सूरतगढ ने खातेदारी सनद संख्या 3556 दिनांक 16.01.2016 को जारी कर दी है व राजस्व रिकार्ड मे यह रकबा मुझ अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी ने श्रीमान आवटन अधिकारी के समक्ष किसी भी तथ्य को छुपाया नही है तथा पुख्ता आवटन के वक्त कोई झुठे व मिथ्या तथ्य पेश नही किये है तथा अप्रार्थी का पेशा काश्तकारी व अप्रार्थी राजस्थान का मुल निवासी है। अप्रार्थी उक्त रकबा बालिग पुत्र मे आवटन का हकदार था। प्रार्थी ने महज परेशान करने के लिए यह झुठा शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार किसी भी तथ्यो को मिथ्या या गलत सुचना दी जावे तो लागु होता है परन्तु अप्रार्थी ने न तो कोई गलत सुचना दी है न कोई तथ्य छुपाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरतगढ से भी रिपोर्ट मगवाई जो शामिल पत्रावली है। तत्पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के समय अपने शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैरप्रकरण रकबा के बाबत पत्रावली में कोई सरप्लस के साक्ष्य नही है तथा अप्रार्थी का कब्जा नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी का आवटंन खारिज किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी ने न तो कोई तथ्य छुपाये है व न ही झुठे तथ्य पेश किये है तथा रकबा खातेदारी होने के पश्चात इस न्यायालय को इस धारा मे कार्यवाही करने का अधिकार नही है इस पर काश्तकारी अधिनियम लागु हो गया है तथा उपनिवेशन अधिनियम मे धारा 21 मे ऑवटन अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के ऑवटन के विरूध अपील पेश की थी जो खारीज हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे व झुठी शिकायत करने पर प्रार्थी को तथा कानुनी नजीर आर आर डी 2009 पेज न. 177, 99, आर आर टी 2003 पेज न. 984, आर आर टी 2011 पेज न. 270, आर आर डी 2007 पेज न. 480, डी एन जे 1999 पेज न. 509 पेश किया।

त जिला कलक्टर
गढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। यह बात सही है कि अप्रार्थी के पिता हरचन्द को रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 के 23.13 बीघा व खसरा न. 288 में 17.00 बीघा कुल 40.13 बीघा रकबा सॅवत 2028 से यानी आज से 50 वर्षो पहले से टी.सी. आवंटन है तथा आंवटन अधिकारी सूरतगढ ने पुख्ता आवंटन के समय दिनांक 08.01.1990 को दोनो खसरो मे 17.00–17.00 बीघा कुल 34.00 बीघा रकबा तो पुख्ता आवंटन कर दिया परन्तु खसरा न 167 के शेष रहे 6.13 बीघा रकबा के लिए कोई आदेश नही हुआ जो अपील न. 170/1992 में श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने दिनांक 20.01.1993 को निर्णय करते हुए रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 167 के 6.13 बीघा रकबा अप्रार्थी के पिता हरचन्द के नाम से सरप्लस कर दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नाजायज काश्त की पत्रावली की प्रमाणित प्रतियो से साबित है कि अप्राथी का इस सरप्लस शुदा रकबा पर लगातार कब्जा काश्त है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 22 की पत्रावलीयो के अनुसार तहसीलदार सूरतगढ ने अनेको बार अप्रार्थी न. 1 के खिलाफ धारा 22 की कार्यवाही अप्रार्थी के पुख्ता आवंटन से पूर्व की है इसलिये इस रकबा पर अप्रार्थी का कब्जा ना हो साबित नही है तथा अतिक्रमण के आधार पर ऑवटन खारिज भी नही किया जा सकता । आवटंन अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी को पत्रावली न. 2349/2007 में दिनांक 03.09.2007 को इस 6.13 बीघा के लिए सक्षम घोषित किया है व दिनांक 15.09.2007 को सलाहाकार समिति से यह रकबा अप्रार्थी को पुख्ता आवंटन हुआ है तथा इस आवंटन के खिलाफ शिकायतकर्ता ने अपील न. 79/2012 श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगगांनगर के समक्ष पेश की थी जो दिंनाक 15.01.2014 को खारिज हो चुकी है। चक बन्दी के दौरान यह रकबा चक 16 एस एल डी के पत्थर न. 83/383 में 1.682 हैक रकबा पैमुद हुआ है तथा इस रकबा के खातेदारी सनद दिनांक 06.01.2016 को अप्रार्थी के नाम से जारी हो चुकी है।प्रार्थीगण ने पहले अप्रार्थी के ऑवटन के विरूध अपील पेश कर दी है व अब इस न्यायालय मे यह शिकायत पेश कर दी है परन्तु अप्रार्थी को उक्त रकबा ऑवटन विधी सम्मत मानकर ही श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय श्रीगंगानगर ने शिकायत कर्ता की अपील खारीज कर दी तथा ऑवटन अधिकारी सूरतगढ ने अप्रार्थी को पुख्ता ऑवटन करने मे कोई त्रुटि नही की है तथा शिकायतकर्ता तथा राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थी ने अपने ऑवटन पत्रावली मे कोई मिथ्या तथ्य/गलत सुचना पेश करके या सही तथ्य छिपाकर के यह आवंटन करवाया हो तथा इस रकबा के बाबत अप्रार्थी ने आवटनं अधिकारी सूरतगढ के समक्ष कोई गलत सुचना दी हो ऐसा साक्ष्य भी पत्रावली में मौजुद नही है। प्रकरण में मिथ्या सुचना का या न्यायालय से कपट का कोई प्रकरण नही बनता है,इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का शिकायत प्रार्थना पत्र पूर्णतया आधारहीन व मनगढत होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner